राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–111/2015/जयपुर

लक्ष्मण प्रसाद पुत्र स्व. श्री बद्री प्रसाद जी,
जाति कुमावत, उम्र 63 वर्ष,
निवासी– उदय भवन, एम.आई.रोड, जयपुर। .....निगरानीकर्ता

बनाम

1. सरकार जरिये उप पंजीयक, जयपुर प्रथम।

2. श्रीमान् अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।

.....प्रत्यर्थीगण

3. मै0 अरविन्द लिमिटेड, रजिस्टर्ड कम्पनी, नरोदा रोड, अहमदाबाद जरिये इसके अधिकृत प्राधिकारी श्री शैल पटेल।

.....तरतीबी प्रत्यर्थी

उपस्थित : :
श्री संजय मंत्री
अभिभाषक। .....प्रार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक। .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20.09.2016

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर (जिसे आगे **'कलक्टर मुद्रांक'** कहा गया है) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.03.2014 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार यह हैं कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 को वाके एम.आई.रोड, जयपुर स्थित शॉप नं. 330 सम्पत्ति उदय भवन का शॉ–रूम 3,40,000/– अक्षरे तीन लाख चालीस हजार रूप्ये प्रति माह की दर से प्रथमतः तीन वर्ष के लिए दिनांक 10.04.2011 से 09.04.2014 तक के लिए 15% सालाना किराये की वृद्धि के लिए दिये जाने की लीज–डीड उप–पंजीयक, जयपुर प्रथम के समक्ष दिनांक 10.05.2011 को पंजीयन हेतु प्रस्तुत की गई। प्रत्यर्थी संख्या–1 उप–पंजीयक, जयपुर प्रथम ने उक्त लेखपत्र की मालियत रू. 51,00,000/– अक्षरे इक्कयावन लाख रूपये मूल्यांकित करते हुए कमी स्टाम्प बताई जिस पर निगरानीकर्ता द्वारा कमी मुद्रांक की राशि जमा करा दी गई और प्रत्यर्थी संख्या 1 ने निगरानीकर्ता को उक्त दस्तावेज रू. 1,02,000/– अक्षरे एक लाख दो हजार रूपये की अदायगी पर बाद क्रमांक 4848/11 पर बाद पंजीयन विधिवत लौटा दिया। तदोपरान्त आडिट आक्षेपानुसार दो वर्ष के औसत किराये की राशि, सिक्यूरिटी राशि कुल 1,04,65,200/– रूपये पर कन्वेन्स की दर से कमी मुद्रांक कर रू. 4,21,260/– कमी सरचार्ज रू. 42,139/– कुल रू. 4,63,390/– अक्षरे चार लाख तिरेसठ हजार तीन सौ नब्बे रूपये की राशि के लिए प्रकरण प्रत्यर्थी सं. 2 को प्रेषित किया। निगरानीकर्ता एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा रेफरेन्स के नोटिस जारी होने पर अपना जवाब प्रस्तुत किया कि राज्य–सरकार की अधिसूचना

लगातार.....2

3. दिनांक 05.03.2003 के अनुसार सही रूप से एक वर्ष के औसत किराये की राशि का दो प्रतिशत मुद्रांक लिया गया है, अनुच्छेद–33 के अनुसार लीज में सिक्योरिटी पर मुद्रांक लिया गया है, अनुच्छेद–33 के अनुसार लीज में सिक्योरिटी पर मुद्रांक देया नहीं है यदि लीज बीस वर्ष से कम की हो साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा लीज अन्तर्गत सम्पत्ति को खाली कर दिया गया है और अब लीज अस्तित्व में नहीं रही है, अतः रेफरेन्स निरस्त करने का निवेदन किया। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने प्रकरण में प्रश्नगत आदेश दिनांक 05.03.2014 द्वारा आदेश पारित करते हुए रेफरेन्स स्वीकार कर सिक्योरिटी राशि को जोड़ते हुए मुद्रांक कर 1,04,65,200/– रूपये पर कमी मुद्रांक 4,21,260 रूपये, कमी सरचार्ज 42,130/– रूपये एवं शास्ति 11610/– रूपये कुल 4,75,000/– रूपये की वसूली के आदेश दिये। उक्त आदेशानुसार उक्त कमी मुद्रांक राशि की वसूली की कार्यवाही प्रारंभ की गई जिसके तहत प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा निगरानीकर्ता से उक्त राशि का एडवान्स चैक प्राप्त कर लिया गया। निगरानीकर्ता ने माननीय राज्य–सरकार द्वारा दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त किया जाना प्रस्तावित करते हुए देय कमी मुद्रांक की राशि रू. 4,63,390/– अक्षरे चार लाख तिरेसठ हजार तीन सौ नब्बे रूपये दिनांक 18.12.2014 को जमा करा दियें। निगरानीकर्ता ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ आदेश दिनांक 05.03.2014 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है।

4. निगरानी ग्राहयता के स्तर पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक निगरानीकर्ता की ओर से कहा गया कि अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य व सामग्री के विपरित है। किराया राशि के साथ सिक्योरिटी राशि अदा करने पर विचाराधीन दस्तावेज अधिसूचना दिनांक 05.03.2003 से कवर नहीं होता ब्लकि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 3 के अनुसूची के अनुच्छेद 33सी से कवर होता है। वसूली की कार्यवाही के दौरान ही राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14.07.2014 को अधिसूचना क्रमांक एफ4(15)एफ.डी./टेक्स/2014/56 जारी करते हुए दो वर्ष के औसत किराये पर मात्र 1% की मुद्रांक देय होना निश्चित कर दिया है जो भूतलक्षी प्रभावी है परन्तु फिर भी निगरानीकर्ता से प्रश्नगत राशि वसूल की है जो लौटाये जाने योग्य है। किराये पर लिया गया परिसर 1 वर्ष बाद ही खाली कर दिया गया था जिससे लीज–डीड प्रभावी भी नहीं रही है। अतः निगरानी एडमिशन की जाकर स्वीकार की जावें।

6. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की ओर से कथन किया गया कि निगरानीकर्ता ने एमेन्स्टी स्कीम का लाभ प्राप्त कर लिया है जिससे आदेश अन्तिम हो गया है। निगरानी एडमिशन स्टेज पर ही एडमिशन के बिन्दु पर खारिज योग्य है।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया।

सर्वप्रथम निगरानी के ग्राहयता के बिन्दु पर विचार किया जाता है। निगरानीकर्ता ने निगरानी के बिन्दु संख्या 5 में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त किया जाना प्रस्तावित करते हुए देय कमी मुद्रांक की राशि 4,63,390/– दिनांक 18.12.2014 को जमा करा दिये हैं। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.03.2014 से कमी मुद्रांक 4,75,000/– रू. वसूल

लगातार.....3

8. करने के आदेश दिये गये थे। बहस के समय भी निगरानीकर्ता के अभिभाषक ने इससे इंन्कार नहीं किया है। निगरानीकर्ता के अभिभाषक ने ऐमनेस्टी स्कीम (आम माफी योजना) स्कीम का लाभ अंडर प्रोटेस्ट प्राप्त करने का उल्लेख भी नहीं किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता ने ऐमनेस्टी स्कीम (आम माफी योजना) स्कीम का लाभ प्राप्त किया है। इस न्यायालय के विनम्र मतानुसार जब एक बार किसी आदेश की पालना में ऐमनेस्टी स्कीम (आम माफी योजना) स्कीम का लाभ प्राप्त करते हुए क्रियान्विती कर दी जाती है तो इसका तात्पर्य यह है कि संबंधित पक्षों ने आदेश को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया है। यदि निगरानीकर्ता आदेश को विधिक चुनौती देने के आधार पर ऐमनेस्टी स्कीम (आम माफी योजना) स्कीम का लाभ प्राप्त करने हेतु निवेदन करता तो यह संभव है कि सक्षम अधिकारी निगरानीकर्ता को उसका लाभ नहीं देते। माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर की खंडपीठ ने निगरानी संख्या 477/2015 मै0 रीजन पावर टैक प्रा0 लि0 बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 22.08.2016 में यह अवधारित किया है कि ऐमनेस्टी स्कीम (आम माफी योजना) स्कीम का लाभ प्राप्त करने के पश्चात प्रकरणों में लाभ प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है क्योंकि एक प्रकरण में एक प्रकार का लाभ ही प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार निगरानीकर्ता द्वारा ऐमनेस्टी स्कीम (आम माफी योजना) स्कीम का लाभ प्राप्त करने का तात्पर्य अपीलाधीन आदेश को अन्तिम रूप से स्वीकार करना है जिससे निगरानीकर्ता आगे विधिक चाराजोही का अधिकारी नहीं माना जा सकता।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी एडमिशन स्टेज पर ही ग्राहयता के बिन्दु पर खारिज योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी ग्राहयता के बिन्दु पर खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर फैसल शुमार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नत्थू राम)
सदस्य